

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/12650 दिनांक : 01.12.2017

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11.30 बजे कलक्टेड सभागार, जैसलमेर में जैसलमेर जिले की जैसलमेर/पोकरण, नगर विकास न्यास/निकायों में विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

इस बैठक में जैसलमेर/पोकरण, नगर विकास न्यास/निकायों के नियमित कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जावेगी :-

01. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
02. एन.यू.एल.एम. (N.U.L.M.)
03. Conservation of Water Bodies (MJSA Urban)
04. PMAY/ मुख्य मंत्री जन आवास योजना
05. UD Tax Collection
06. Performance Grant
07. Fire Station Progress
08. गौरव पथ निर्माण
09. LED Street Lights Project
10. राजस्थान सम्पर्क/CM Helpline
11. AMRUT
12. RUIDP Works.
13. Any Other

बैठक में जैसलमेर जिले की निकायों के समस्त आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी तथा जैसलमेर, नगर विकास न्यास के सचिव समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, जिला कलेक्टर, जैसलमेर, परियोजना निदेशक, आर. यू.आई.डी.पी., निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, रुडसिको, मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एनयूएलएम), अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक में स्थानीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा किया जावेगा।

(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/12651-667 दिनांक : 01.12.2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01.विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- 02.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- 03.जिला कलक्टर, जैसलमेर।
- 04.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर।
- 05.परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
- 06.निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 07.कार्यकारी निदेशक, रूडसिको., जयपुर।
- 08.मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.) निदेशालय।
- 09.सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
- 10.आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी नगर परिषद/पालिका, जैसलमेर जिले की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।।
- 11.उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्थानीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को भी आमंत्रित करें।
- 12.सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक